यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, नारसन, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह **कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, नारसन, हरिद्वार** के माह 10/2017 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विश्व प्रकाश सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री संदीप चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 02.11.2020 से 07.11.2020 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजकुमार, लेखापरीक्षक, श्री खुशिराम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2017 से 07.09.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2014 से 08/2017 तक के अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2017 से 10/2020 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सन 1939 ई. में संस्कृत पाठशाला के रूप में गुरुकुल की स्थापना के साथ नारसन क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में प्रारम्भिक शिक्षा की शुरुआत हुई। उतरोत्तर विकास के क्रम में सन 1958-59 मे स्नातक (कृषि) व सन 1960-61 में स्नातकोत्तर विषय एग्रोनामी व कृषि वनस्पति विषयों में ग्रामीण क्षेत्रों के पाल्यों के शैक्षणिक विकास हेतु पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे है। यह महाविद्यालय पौराणिक नगरी हरिद्वार जिले की तहसील रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में स्थित है, जोकि एनएच 58 पर स्थित है।

(अ) विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18			240.14	240.14				
2018-19			238.47	238.47				
2019-20			291.80	291.80				
2020-21 (10/20)			129.72	129.72				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत (-)**
2017-18	-------शून्य--------				
2018-19					
2019-20					
2020-21 (10/20)					

इकाई को बजट आवंटन (क्रेन्द एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, नारसन, हरिद्वार, उत्तराखंड श्रेणी (सी) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, उच्च शिक्षा

↓

निदेशक, उच्च शिक्षा

↓

अपर निदेशक (गढ़वाल), उच्च शिक्षा

↓

प्राचार्य महविद्यालय

↓

प्राध्यापक गण

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, नारसन, रुड़की** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है। यह प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, नारसन, रुड़की उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 02/2018 एवं 10/2019** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

<u>भाग -II 'ब'</u>

प्रस्तर01:- छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे न करके रू 56.20 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रख ब्याज अर्जित करने हेतु उपयोग किया जाना ।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात् तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत (लैप्स)कर दी जाएगी। बिन्दु संख्या 6 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि विगत तीन वर्षों में कुल 400 छात्रों के सापेक्ष मात्र 65 छात्रों को ही काशन मनी (रू 26000/-) वापस की गयी । उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 एवं 6 के अनुसार तीन वर्ष तक अदावाकृत काशन मनी को व्यपगत कर, उस कोष की प्रबंध समिति द्वारा बचत (रू 1063003/-) को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो जैसे शौचालय,पानी की व्यवस्था या व्यायामशाला का निर्माण करने हेतु कार्यों में व्यय किया जा सकता था जो की नहीं किया गया। आगे जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में कृषि विज्ञान जैसे संकाय होने के बावजूद विगत तीन वर्षों में छात्र निधि- 'विज्ञान' में कुल बचत धनराशि रू 4417737/- के सापेक्ष मात्र रू 5969/- ही व्यय की गयी। अतः कहा जा सकता की कृषि विज्ञान में पठित छात्रों के बौद्धिक विकास एवं उनको प्रयोगात्मक प्रशिक्षण को पुर्णतः नज़रंदाज़ किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि छात्र कल्याण निधि कुल बचत धनराशि रू 139280/- मे से विगत 3 वर्षो मे कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी । संलग्न तालिका एवं उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे न करके रू 5620020/- धनराशि को अवरुद्ध रख, महाविध्यालय द्वारा ब्याज प्राप्त हेतु उपयोग किया जा रहा है

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार करते हुए कहा गया कि भविष्य में छात्रनिधि खातो में जमा बचत को महाविद्यालय द्वारा छात्र कल्याण निधि बनाने हेतु कार्यवाही की जाएगी ।

अतः छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे न करके रू 56.20 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रख ,ब्याज अर्जित करने हेतु उपयोग में लाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

क्रं सं	छात्रनिधि	प्रारम्भिक धनराशि	व्यय	अर्जित बयाज	प्राप्त शुल्काय	अवशेष धनराशि
1	छात्र कल्याण	89836.50	265.5 बैंक कटौती	11469	38240	139280
2	काशन मनी	824009.97	26000(वापसी) 344500(लोन)	59511	535700	1063003
3	विज्ञान	2201080.37	5969 177(बैंक कटौती)	322348	1899955	4417737
Total						5620020

<u>भाग II "ब"</u>

प्रस्तर 02- अग्रिम आयकर का विलम्बित भुगतान रुपये 5.14 लाख I

आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 44 **ADA (I)** पैरा 150 के अनुसार जो आयकर दाता कर भुगतान के लिए उत्तरदाई है, चालू वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर की गणना के पश्चात अग्रिम कर भुगतान निम्न सारणी के अनुसार भुगतान किए जाने हेतु प्रावधानित है ।

अवधि	**पूरे वर्ष में देय आयकर का अग्रिम भुगतान %**
सितम्बर तक या पूर्व 15	**30%**
दिसंबर तक या पूर्व 15	**60%**
मार्च तक या 15पूर्व	**100%**

उपरोक्त सारणी के अनुसार पूरे वर्ष की अनुमानित आय का 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान 15 सितम्बर तक अथवा उससे पूर्व, एवं पूरे वर्ष की अनुमानित आय का 60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान 15 दिसम्बर तक अथवा उससे पूर्व, इसी प्रकार पूरे वर्ष की अनुमानित आय का 100 प्रतिशत कर का भुगतान 15 मार्च तक अथवा उससे पूर्व आयकर विभाग के पक्ष में जमा किया जाना अनिवार्य है ।

पूरे वर्ष की अनुमानित आय का निर्धारित प्रतिशत से कम कर का अग्रिम भुगतान, उपरोक्त अवधि के बाद किया जाना आयकर का विलम्बित भुगतान की श्रेणी में आता है।

प्राचार्य आर.एम.पी. पी.जी. कालेज नारसन हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संस्थान में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से आय पर कर उपरोक्त सारणी के अनुसार निर्धारित प्रतिशत से कम अग्रिम भुगतान किया जा रहा था (विवरण संलग्न) जो आयकर का विलम्बित भुगतान रुपये **514250** था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि, आयकर निर्धारण वर्ष 2020-21 में दिनांक 15 दिसम्बर के बाद रेमुनारेशन की बढ़ोत्तरी के कारण अग्रिम कर की कटौती नहीं की जा सकी I इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आयकर के उपरोक्त नियम के अनुसार पूरे वर्ष की अनुमानित आय का 60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान 15 दिसम्बर तक अथवा उससे पूर्व आयकर

विभाग के पक्ष में जमा किया जाना अनिवार्य था तदनुसार उपरोक्त अवधि के बाद भुगतान किया जाना, आयकर का विलम्बित भुगतान की श्रेणी में आता है। ।

अतः रुपये **514250** के अग्रिम आयकर का विलम्बित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 01:- faculty-Student के अनुपात के सम्बन्ध में यूजीसी के मानको के उल्लंघन का शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव ।

यूजीसी के दिशानिर्देश 2017 के बिन्दु संख्या 4.1 (vii) के अनुसार faculty Student का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए तथा Part time faculty को इसमे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी) महाविद्यालय मे विगत तीन वर्षों से कोर्स बी.एस.सी.(कृषि) ,एम. एस.सी.(कृषि) एग्रोनोमी एवं एस.सी.(कृषि) बोटनी में faculty Student का औसतन अनुपात 1:53 का अनुपात था जो कि यूजीसी के मानको के अनुसार बहुत कम है । गौरतलब है की प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी) महाविद्यालय मे प्रतिवर्ष छात्रों के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई परन्तु छात्रों के बढ़ते नामांकन के समानुपात में प्रवक्ताओं की संख्या में कोई वृद्धि नही हुई है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता के लगातार गिरते हुए स्तर एवं छात्रों के भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा प्रवक्ताओं की कमी को उच्चाधिकारी के संज्ञान में भी लाया गया परन्तु वर्तमान में भी प्रवक्ताओं की कमी में कोई सुधार नही हुआ है।

अतः faculty-Student के अनुपात के सम्बन्ध में यूजीसी के मानको के उल्लंघन का शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या	भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
208/2013-14	----	------	01 & 02
82/2017-18	----	01	01 & 02

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

<u>आभार</u>

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, नारसन, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख: ---शून्य---

सतत् अनियमितताएः --शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रं.सं.	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1.	डॉ. बी. एल. कुशवाहा	प्राचार्य	05.09.2009 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, नारसन, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-I